(13) (2.2)

प्रारुप–5

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण–पत्र

परियोजना का नाम :– **जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट–काण्डे–भुइया मोटर मार्ग का निर्माण।**

उपरोक्त मोटर मार्ग की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1466/III(2)/14–71 (प्रा0आ0)/2013 दि0 04–03–2014 के द्वारा 10.000 कि.मी. लम्बाई हेतु प्रथम चरण में रू0 58.50 लाख की स्वीकृत प्राप्त है, शासनादेश प्रस्ताव में संलग्न है।

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग
लोहाघाट

ह0/–
अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट (चम्पावत)
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(13) (2.2.) (5)

संख्या–1466 /III(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013

महिमा,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

निर्माण अनुभाग–2

देहरादूनः दिनांकः 04 मार्च, 2014

वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अन्तर्गत विभिन्न 12 कार्यो की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता द्वारा संलग्न विवरणानुसार प्रथम चरण की स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराये गये विभिन्न 12 कार्यो के प्रारम्भिक आगणनों, जिनकी लम्बाई 61.40 + 04 सेतु तथा लागत ₹ 589.22 लाख है, पर टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई लागत ₹ 589.02 लाख (₹ पॉच करोड़ उन्नब्बे लाख दो हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में संलग्नक के कॉलम सं0–5 पर उल्लिखित विवरणानुसार प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात कुल 12 कार्य हेतु ₹ 1.20 लाख (₹ एक लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की महामहिम श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा शासनादेश सं0:–1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 **दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

2. आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को शेड्यूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग के मानकों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यो को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

5. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में कदापि न किया जाय।

6. निर्माण किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उसके विषय में समय–समय पर शासन द्वारा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा।

7. उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत निर्देशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत आगणनों में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में मद 22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर [illegible]

(2.2)

[illegible]

[illegible] में व्यय हेतु उपयुक्त की जा रही धनराशि का पद 31-03-2014 तक सुनिश्चित किया जाना। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

(xi) यदि स्वीकृत किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य अथवा उसका कोई भाग प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत है अथवा उसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत किया जा सकता है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

(xii) प्रथम चरण के कार्य हेतु यदि किसी अन्य समरूप कार्य हेतु पूर्व में कराई गई डिजाईन/मानक, पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से विषयगत कार्य हेतु प्रयोग की जा सकती है, तो मितव्ययता की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए तदनुसार कार्यवाही की जाय।

(2) इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013–14 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाषीर्शक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय–04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय–03 राज्य सेक्टर–02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

(3) यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 855(A)/XXVII/(2)/2013 दि0: 04 मार्च, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(महिमा)
उप सचिव

संख्याः– 1466 (1)/III(2)/14–71(प्रा0आ0)/2013 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
4. मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायूँ क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
8. मुख्यमंत्री कार्यालय घोषणा अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
9. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
10. गार्ड बुक।

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट (चम्पावत)

आज्ञा से,

(महिमा)
उप सचिव

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता III लो.नि.वि. लोहाघाट को सूचनार्थ आवश्यक ~~कार्यवाही~~ कार्यवाही हेतु प्रेषित।
प्रति JET / लेखाधिकारी / वर्क स्टाफ / रीडर
[illegible]

(2.2)

(7)

	2	3	4	5
	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–477/2013 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में बगौटी से डुंगरालेटी तक मोटर मार्ग का निर्माण।	7.00	40.95	0.10
2	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–477/2013 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में चाख गजीना से संगनौला तक मोटर मार्ग का निर्माण	5.00	29.25	0.10
3	मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–477/2013 के अन्तर्गत जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में लुपडा से धौनी सिलिंग तक मोटर मार्ग का निर्माण।	6.750	39.49	0.10
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर के अन्तर्गत जुलेड़ी–धारकोट मोटर मार्ग के मिसिंग लिंक मोटर मार्ग तथा तोड़ोंगाढ़ नदी पर आर0सी0सी0 सेतु व ताल नदी पर लौह सेतु का निर्माण कार्य।	14.00 + 02 brg	212.40 (₹ 105.30 + ₹ 107.10 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
5	जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत मूलाकोट–काण्डे–भुइया मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	10.00	58.50	0.10
6	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत ग्राम गोर्सू से ग्राम कुलासू तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	2.00	30.34 (₹ 11.70 + ₹ 18.64 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
7	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी में खाल्यूं बैण्ड से ग्राम ढुंगी–बमराड़ी–कमरगढ़ तक मोटर मार्ग का नव निर्माण।	5.00	75.85 (₹ 29.25 + ₹ 46.60 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र पौड़ी के अन्तर्गत तैड़ी–बसन्तपुर–भूतनिसी मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।	6.00	55.62 (₹ 35.10 + ₹ 20.52 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
9	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–डीडीहाट में रोंतिस नदी में थपलविसा, सिमार के मध्य 40 मी0 स्पान स्टील गर्डर सेतु का निर्माण।	40 mt	1.60	0.10
10	जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र–डीडीहाट में चिटगल गांव के पास तारकेश्वरी नदी पर 70 मी0 स्पान झूला पुल का निर्माण।	70 mt	2.80	0.10

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट (चम्पावत)

	जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र रुड़की के अन्तर्गत मौहल्ला पठान पुरा मे तीव्र मोड़ को सीधा करने का कार्य।	0.150	3.00 (₹ 0.05 + ₹ 2.95 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
12.	जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत जाजल–गजा–देवप्रयाग राज्य मार्ग संख्या-- 31 के किमी0 45.00 से ग्राम गुरयाली वे ग्राम पालकोट हेतु मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।	5.50	39.22 (₹ 32.18 + ₹ 7.04 उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली से कराये जाने वाले कार्य)	0.10
	योगः–	61.40 + 04	589.02	1.20

(कुल ₹ एक लाख बीस हजार मात्र)

(महिमा)
उप सचिव

छायाप्रति प्रमाणित
सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
लोहाघाट (चम्पावत)